उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनुभाग-1
सं0-78/2018/सं0वि0क0नि0-1- 2028/11-2018-90/2016
लखनऊ: दिनांक: 12 जून, 2018

-: कार्यालय-ज्ञाप :-

वेतन समिति-2008 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था विषयक वित्त विभाग के शासनादेश सं0-50/2015-वे0आ0-2-871/दस-62(एम)/2008, दिनांक 26.08.2015 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से द्वितीय वित्तीय स्तनोन्नयन के रूप में वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रू0 15600-39100, ग्रेड पे रू0-7600/- एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

क्र0सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम	द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन की देय तिथि
1	1578	श्री अरूण कुमार सिंह	07.04.2015
2	1583	श्री विवेक आर्य	10.11.2015
3	1584	श्री अमरेश त्रिपाठी	10.12.2015
4	1589	श्री सुरेन्द्र मोहन	10.12.2015

नरेन्द्र कुमार
उप सचिव।

संख्या-सं0वि0क0नि0-1-2028(1)/11-2018, तद् दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।
2- महालेखाकार (लेखा), द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- संबंधित कोषाधिकारी द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
4- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग 1/2,
5- संबंधित अधिकारी द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नरेन्द्र कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।